न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– अभिषेक गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 98 / 2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. भेरूलाल पिता उदेराम नाई निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
2. सरजु बेवा बंशी नाई निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. उदयराम पिता चम्पालाल बड़वा निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
2. लाडदेवी पत्नी रतनलाल बापना निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
3. अर्जुन पिता मोहनलाल बापना निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
4. रतनदास पिता रामदास निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
5. व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।

——विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः–25.02.2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम सोनियाणा, पटवार क्षेत्र सोनियाण, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 2698 रकबा 0.17 है0, 2699 रकबा 0.14 हे0, 2700 रकबा 0.03 हे0, 2701 रकबा 0.29 हे0, 2702 रकबा 0.32 हे0 कुल किता 5 रकबा 0.95 है0 भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 खाता संख्या 343 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं कर ग्राम सोनियाणा, पटवार क्षेत्र सोनियाण, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 2698 रकबा 0.17 है0, 2699 रकबा 0.14 है0, 2700 रकबा 0.03 हे0, 2701 रकबा 0.29 हे0, 2702 रकबा 0.32 हे0 कुल किता 5 रकबा 0.95 है0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्ष की उपस्थिति में बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी किये पत्थरगढी की जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर (भीलवाड़ा)

सरजुदेवी सेन

भेरूलाल